CMO(NFSG)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2003/भाद्र 20, 1925
No. 442] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2003/BHADRA 20, 1925

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2003

सा. का. नि. 732(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी पद्धति और होम्योपैथी विभाग जिसमें संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं, में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी, ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन समूह) (समूह 'क' राजपत्रित) पद भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य वे बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**:—(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**:—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

यशवीर सिंह
Yash Veer Singh
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार
Govt. of India
Ministry of AYUSH

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1.मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (आयुर्वेद) कृत्यिक प्रयोजनों के लिए मुख्य ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी जब विभाग में पदस्थ किया जाएगा तब संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।	06* (2002) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-18300 रु0 व्यवसाय निषेध भत्ता सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
लागू नही होता	लागू नहीं होता	शून्य

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति :-** ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप सलाहकार जिन्होंने रु0 12000-16500 वेतनमान में समूह "क" में चौदह वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण :-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) - सदस्य 3. निदेशक, (आयुर्वेद और सिद्ध) सलाहकार (आयुर्वेद) - सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (होम्योपैथी) कृत्यिक प्रयोजनों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब विभाग में पदस्थ किया जाएगा तब संयुक्त सलाहकार (होम्योपैथी) के रुप में पदाभिहित किया जाएगा ।	06 * (2002) * कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-18300 रू0 व्यवसाय निषेध भत्ता सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नति : ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप सलाहकार जिन्होंने रू0 12000-16500 के वेतनमान में समूह "क" में चौदह वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अवेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिव (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) - सदस्य 3. निदेशक, (होम्योपैथी) - सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (यूनानी) कृत्यिक प्रयोजनों के लिए मुख्य ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी तब विभाग में पदस्थ किया जाएगा जब संयुक्त सलाहकार (यूनानी) के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।	• 02 (2002) • कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-18300 रू व्यवसाय निषेध भत्ता सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

11	12
प्रोन्नति	**प्रोन्नति:** ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप सलाहकार जिन्होंने रु012000-16500 के वेतनमान में समूह "क" में चौदह वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अवेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य संघ लाक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिच (भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी) - सदस्य 3. निदेशक, (यूनानी) - सदस्य 4. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण् विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

1	2	3	4	5	6	7
4. मुख्या चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) (सिद्ध) कृत्यिक प्रयोजनों के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब विभाग में पदस्थ किया जाएगा तब संयुक्त सलाहकार(सिद्ध) के रूप मे पदाभिहित किया जाएगा ।	• 01 (2002) कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	14300-400-18300 रू व्यवसाय निषेध भत्ता सहित	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य

11	12
प्रोन्नति	प्रोन्नतिः ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप सलाहकार जिन्होंने रू012000-16500 वेतनमान में समूह "क" में चौदह वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अवेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है ।

13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1.अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग 2. सचिच (भारतीय चिकित्सा पद्धति और - सदस्य होम्योपैथी) 3. निदेशक, (आयुर्वेद और सिद्ध) सलाहकार - सदस्य (आयुर्वेद) 4. संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए.-32017/1/96/भा.चि.प.(स्था-I)]

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

2598 GI/03-2

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2003

G.S.R. 732(E).— In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy Group 'A' posts in the Central Government Health Scheme in the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy, including attached and subordinate offices, namely:

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the Central Government Health Scheme and Department of Indian Systems of Medicines and Homoeopathy Chief Medical Officer (NFSG) (Group 'A' Gazette) posts Recruitment Rules, 2002.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:- the number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of Recruitment, age limit, other qualification etc.:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification:- No person shall be eligible for appointment to the said post:

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person provided that the Central Government, may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by other, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :- Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitments	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules. 1972.	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and Essential Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) Ayurveda @ @ For Functional purposes, a Chief Medical Officer (NFSG) when posted in the Department will be designated as Joint Adviser (Ayurveda)	*06 (2002) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs.14300-400-18300 plus Non Practicing Allownace	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applica-ble	Not Applicable	NIL

Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making rectt.
(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion	Promotion. Chief Medical Officer/Deputy Adviser in the pay scale of Rs. 12000-16500 with fourteen years regular service in Group 'A'. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary (Indian Systems of Medicine And Homoeopathy) – Member. 3. Director (Ayurveda and Siddha)/Advisor (Ayurveda) – Member 4. Joint Secretary (Training), Deptt. of Personnel And Training – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Veer Singh
Under Secretary
AYUSH Govt. of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) (Homoeopathy) @ @ For Functional purposes, a Chief Medical Officer (NFSG) when posted in the Department will be designated as Joint Adviser (Homoeopathy)	*06 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs.14300-400-18300 Plus Non Practicing Allowance	Selection	Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable	Not Applicable	No

(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion	Promotion: Chief Medical Officer/Deputy Adviser in the pay scale of Rs. 12000-16500 with fourteen years regular service in Group 'A'. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) 2. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary(Indian Systems of Medicine - Member and Homoeopathy)- 3. Advisor(Homoeopathy) -Member 4. Joint Secretary(Training), Deptt. of Personnel and Training - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) (Siddha) @ @ For Functional purposes, a Chief Medical Officer (NFSG) when posted in the Department will be designated as Joint Adviser (Siddha)	*01 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non Ministerial.	Rs.14300-400-18300 Plus Non Practicing Allownace	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	NIL

(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion	<u>Promotion:</u> Chief Medical Officer/Deputy Adviser in the pay scale of Rs. 12000-16500 with fourteen years regular service in Group 'A'. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	<u>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</u> 1.Chairman/Member, Union Public Service Commision – Chairman 2. Secretary(Indian Systems of Medicine and Homoeopathy)- Member. 3.Director(Ayurveda and Siddha)/Advisor (Ayurveda)- Member 4. Joint Secretary(Training), Deptt. of Personnel and Training - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) Unani @ @ For Functional purposes, a Chief Medical Officer (NFSG) when posted in the Department will be designated as Joint Adviser (Unani)	*02 (2002) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted. Non-Ministerial.	Rs.14300-400-18300 Plus Non Practicing Allowance	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	NIL

(11)	(12)	(13)	(14)
Promotion	<u>Promotion:</u> Chief Medical Officer/Deputy Adviser in the pay scale of Rs. 12000-16500 with fourteen years regular service in Group 'A'. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	<u>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)</u> 1.Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary(Indian Systems of Medicine and Homoeopathy) - Member. 3. Advisor(Unani) - Member 4. Joint Secretary(Training), Deptt. of Personnel and Training – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-32017/1/96/ISM (E-I)]

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.